प्रेषक

आलोक रंजन मुख्य सचिव 30प्र0 शासन।

सेवा में

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव 30प्र0 शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 08 सितम्बर, 2015

विषय- राजकीय निर्माण एजेन्सियों द्वारा किये जा रहे भवन निर्माण कार्यों के मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवनों की वर्तमान में प्रभावी लागत सीमा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा किये जा रहे भवन निर्माण कार्यों की लागत सीमा का निर्धारण तथा शासकीय निर्माण कार्यों को सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण शासनादेश संख्या-ई-8-157/दस-2013-1074/2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा किया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, कान्स्ट्क्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (30प्र0 जल निगम) को प्रथम श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित करते हुए मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवनों की लागत सीमा "असीमित" एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, 30प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद को द्वितीय श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित करते हुए मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रू० 10.00 करोड़ की सीमा तक वथा 30प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, 30प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) को तृतीय श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित करते हुए मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रू० 10.00 करोड़ की सीमा तक तथा 30प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, 30प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) को तृतीय श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित करते हुए मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रू० 10.00 करोड़ की सीमा तक व गैर मानकीकृत भवनों की लागत सीमा

...2

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

रू० 5.00 करोड़ की सीमा तक निर्धारित की गयी है।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में श्रम एवं सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रकरण पर पुनर्विचार कर निर्णय लेते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2013 में उक्तानुसार निर्धारित राजकीय निर्माण एजेन्सियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले शासकीय कार्यों के मानकीकृत गैर मानकीकृत भवनों के निर्माण कार्यों की लागत सीमा को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

श्रेणी	राजकीय निर्माण एजेन्सियों के नाम	मानकीकृत	गैर मानकीकृत
प्रथम श्रेणी	<ol> <li>लोक निर्माण विभाग</li> <li>उठप्रठ राजकीय निर्माण निगम लिठ</li> </ol>	असीमित (यथावत्)	असीमित (यथावत्)
	3. कान्स्ट्क्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ०प्र० जल निगम)	A REMIXO	
द्वितीय श्रेणी	<ol> <li>ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग</li> <li>उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०</li> <li>उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद</li> </ol>	रू० 50.00 करोड़ की सीमा तक	रू० 25.00 करोड़ की सीमा तक
तृतीय श्रेणी	<ol> <li>उ०प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0,</li> <li>उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)</li> </ol>	रू० 20.00 करोड़ की सीमा तक	रू० 10.00 करोड़ की सीमा तक

3. उक्त शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शासनादेश की अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

आलोक रंजन मुख्य सचिव ।

....

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

## संख्या-5/2015/ई-8-1092(1)/दस-2015-1074/2012 तद् दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ।
- 2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० ।
- 3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ०प्र० ।
- 4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, लखनऊ ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ ।
- 6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ ।
- 7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम ति०, तखनऊ
- 8. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र० I
- 9. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
- 10. निदेशक, कान्स्ट्क्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ ।
- 11. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० (पैकफेड), लखनऊ ।
- 12. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग ।
- 13. गार्ड फाइल ।

आजा से,

राहुल भटनागर प्रमुख सचिव ।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।